रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 10 सितम्बर, 1988/19 भाद्रपद, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1988

संख्या उद्यान-क (3) 4/81-II.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग हिमाचल प्रदेश की सहमति से हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में उद्यान अर्थशास्त्री श्रेणी-I (राजपत्रित) वेतनमान रुपये 1400—2000 पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो इस विभाग की अधिसूचना सं० उद्यान-क (3) 4/81-II, दिनांक 3-9-87 द्वारा अधिसूचित किए गए थे को निष्प्रभावित करते हुए इस अधिसूचना में संलग्न (अनुबन्ध-IV) के अनुसार उद्यान अर्थशास्त्री वर्ग प्रथम (राजपत्रित) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम सहर्ष बनाते हैं ।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इसके आगे इस विभाग द्वारा इस पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचना सं० 25-5/69-होर्ट (सैक्ट), दिनांक 19-12-71 तथा समय-समय पर इन नियमों में किए गए संशोधन अधिसूचित को निरसन करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं बशर्ते कि यह निरसन पहले बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत हुई कार्यवाही पर असर नहीं डालेगा या उन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही उन नियमों के अनुसार मान्य होगी ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) यह नियम हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के वर्ग प्रथम (राजपत्रित) सवायें नियम, 1988 कहलायेंगे ।

(2) यह नियम हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

अनुबन्ध-IV

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्यान विभाग में श्रेणी-I (राजपत्रित) सेवाएं नियम, 1988

1. पद का नाम	उद्यान अर्थशास्त्री ।
2. पद की संख्या	एक ।
3. वर्गीकरण	श्रेणी-I (राजपत्रित) ।
4. वेतनमान	रुपये 1400—2000 ।
5. क्या पद प्रवरण अथवा अप्रवरण है ?	प्रवरण ।
6. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	45 वर्ष तथा इस से कम :

उपबन्धित है कि सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो पहले ही तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत हो :

आगे उपबन्धित है कि तदर्थ या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार यदि नियुक्ति तिथि की अधिकतम आयु सीमा पार कर गया हो, तो उसे निर्धारित आयु सीमा में उस आधार पर छूट नहीं दी जायेगी:

आगे उपबन्धित है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में देय छूट उतनी है, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत अनुमत है :

आगे उपबन्धित है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों तथा स्वायत निकायों क लिए सभी कर्मचारियों को जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय इनमें अन्तर्लीत होने से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, की भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों, स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किये गये थे/हों, और इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से इन निगमों/स्वायत निकायों में अन्तर्लीत हो गये हों ।

टिप्पणी—1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने क लिए निश्चित अन्तिम तिथि को गिना जायेगा ।

2. सीधी भर्ती की स्थितियों में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवार के लिये आयु सीमा तथा अनुभव से सम्बन्धित योग्यताओं में आयोग के विवेकानुसार छूट देय होगी ।

7. सीधी भर्ती के लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता तथा अनिवार्य अन्य आवश्यक योग्यतायें।	अनिवार्य : (i) कृषि में एम0एस0सी0 डिग्री, उद्यान अर्थशास्त्र या एम0एस0सी0 डिग्री, कृषि सांख्यिकी में या इसक समकक्ष ।

	(ii) अर्थ उत्पादन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या इक्नोमिटरीज के साथ तीन वर्ष का जिम्मेवार प्रशासनिक पद का अनुभव । वांछनीय : कृषि/उद्यान में पी0एच0डी0 डिग्री । वांछनीय योग्यताए : हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, भाषा और संस्कृति का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. क्या आयु व शैक्षणिक योग्यता जिसका वर्णन सीधी भर्ती के लिये किया गया है पदोन्नति के लिये भी लागू होगी ?	आयु : नहीं । शैक्षणिक योग्यता : हां ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि जिसको कि सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियों में अधिकतम केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
10. भर्ती की प्रणाली क्या सीधी अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न ढंगों द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती द्वारा ।
11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले पर वह वेतनमान जिसमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है ।	लागू नहीं ।

टिप्पणी 1.—पदोन्नति के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व यदि कोई 31-12-83 तक अपेक्षित पद पर कार्य सेवा की गई हो तो पदोन्नति के लिये निर्धारित कार्यकाल अवधि में ऐसी सेवा की अवधि को गिना जायेगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है बशर्ते कि :—

(क) उपरोक्त शर्तों को मध्यनजर रखते हुये सभी मामलों पर जो सेवा की एक कनिष्ठ प्रत्याशी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा को मिला कर पर पदोन्नति के लिये योग्य हो जाता है तो वह सभी प्रत्याशी जो सम्बन्धी वर्ग संवर्ग में इससे वरिष्ठ होंगे वह सभी विचारणीय होंगे तथा कनिष्ठ प्रत्याशी से वरिष्ठ समझे जायेंगे :

उपबन्धित है कि वे सभी प्रत्याशी जो पदोन्नति हेतु विचाराधीन हों वे कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा अवधि या भर्ती एवम् पदोन्नति नियमानुसार जो भी निर्धारित सेवा की अवधि हो, दोनों में से जो भी कम हो रखते हों :

आगे उपबन्धित है कि यदि कोई कर्मचारी/प्रत्याशी पदोन्नति के लिये उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार

अनुपयुक्त/अयोग्य पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उससे कनिष्ठ प्रत्याशी भी पदोन्नति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

(ख) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों के लिये भी 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा नियमित नियुक्ति से पहले यदि कोई हो तो ऐसी सेवा को कार्यकाल अवधि में जोड़ा जायेगा।

(ग) 31-12-83 के उपरान्त की गई तदर्थ सेवा को स्थाईकरण या पदोन्नति के लिये नहीं गिना जायेगा ।

टिप्पणी 2. ——जब कभी नियम 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है तो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम 10 तथा 11 के उपबन्धों में संशोधन किया जायेगा ।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना क्या है ?

समय-समय पर जैसा सरकार द्वारा गठित की गई है ।

13. परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जायेगा ।

जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती के लिये आवश्यक योग्यतायें

उपयुक्त या पद सेवा के लिये उम्मीदवार का निम्न-लिखित का होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) विस्थापित तिब्बती जोकि 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के उद्देश्य से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, संयुक्त गणतन्त्र कीनिया, युगांडा, तंजानिया (इससे पूर्व तांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे तथा इथोपिया से भारत में अस्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसको भारत सरकार/राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो, प्रत्याशी माना जायेगा जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो, को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या किसी परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार/हिमाचल

प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही किया जायेगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन — सीधी भर्ती की स्थिति में इन पदों हेतु नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर यदि आयोग/भर्ती प्राधिकारी अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा अथवा व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग/भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत चयनित परिवारों इत्यादि के लिये सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति — जहां पर प्रदेश सरकार का यह मत हो कि यह करना जरूरी है या इसे इस तरह से करना है तो उसके कारणों को अंकित कर के हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित आदेश प्राप्त कर के किसी श्रेणी, वर्ग, व्यक्तियों या पद के नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है ।

18. विभागीय परीक्षा — (i) सेवा के प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि या इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष के भीतर जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा वह निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(क) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए,
(ख) सेवा मे स्थाईकरण,
(ग) आगामी उच्च पद में पदोन्नति :

उपबन्धित है कि यदि एक सदस्य उपर्युक्त अवधि के भीतर पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र बन जाता है, उस की पदोन्नति के लिए विचार अन्यथा किया जाएगा और यदि अन्यथा उपर्युक्त पाया जाए, इस विभागीय परीक्षा को पास करने की शर्त पर अस्थायी पदोन्नत कर दिया जाएगा। यदि वह इसे पास करने में असफल रहता है तो उसे पदावनत किया जा सकता है :

आगे यह भी उपबन्धित है कि अधिकारी जिसने विभागीय परीक्षा को इन नियमों की अधिसूचना से पहले किन्हीं अन्य नियमों के अधीन पूरी या आंशिक रूप से पास कर लिया है, उसे पूरी या आंशिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो, पास करनी अपेक्षित नहीं होगी :

आगे उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पहले कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं थी और वह अधिकारी 1 मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे नियमों के

अधीन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) किसी अधिकारी को उसकी सीधे पदोन्नति लाईन के किसी उच्च पद में पदोन्नति होने के उपरान्त उपर्युक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उसने पहले ही इससे निचले राजपत्रित पद पर उक्त परीक्षा पास कर ली हो ।

(iii) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से विशेष परिस्थितियों में और लिखित रूप में इसके कारण रिकार्ड कर के विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी श्रेणी में या वर्ग को विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक छूट दे सकती है ।

एस० एम० कंवर,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव ।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 दिसम्बर, 1987

संख्या 10-5/75-III-राजस्व (ख).—हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ रूल्ज़, 1975 को और संशोधित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश टैनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ (अमेंडमैण्ट) रूल्ज़, 1987 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ ऐक्ट, 1972 की धारा 123 के अधीन यथा अपेक्षित, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 10 मार्च, 1987 द्वारा तारीख 9 अप्रैल, 1987 के राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था, और जिसके अन्तर्गत इसके प्रकाशित किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्तियों से, जिन की इस से प्रभावित होने की सम्भावना थी, आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जन साधारण से इस निमित कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश टेनैन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ ऐक्ट, 1972 (1974 का 8) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) RULES, 1987

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 1987.

(2) These shall come into force at once.

2 *Addition of a new rule* 10-*A*.—After the existing rule 10 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 (hereinafter called the "said rules'), the following

new rule 10-A shall be added, namely:—

"10-A. *Devolution of tenancy right.*—No entry showing a person to be a tenant by succession under section 45 or otherwise shall be made in the record, except through a mutation".

3. *Amendmeni of rule* 21.—In clause (*iii*) of sub-rule (2) of rule 21 of the said rule,—

(*i*) for the bracket and the figure "(9)", the bracket and the figure "(8)" shall be substituted; and

(*ii*) for the figure and the the word "6 months", the figure and the word "3 years" shall be substituted.

4. *Amendment of rule* 38-*A*.—After the existing clause (*e*) of sub-rule (3) of rule 38-A of the said rules, the following new clause (*f*) shall be added, namely:—

"(*f*) For construction of a Hotel, Restaurant. Cafeteria or any such other permises:	Such area as may be certified by the Department of Tourism of the State Govrenment:

"Provided that the permission granted under this rule shall be valid for a period of 180 days, to be counted from the date of issue of the orders of the State Government—granting such permission".

Sd/-
By order,
Secretary.

[*Authoritative English text of Government Notification No.* 10-5/75-III-*Rev. B, dated* 22-12-1987 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India.*]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd December, 1987

No. 10-5/75-III-Rev.B.—Whereas the draft amendment rules entitled the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 1987, further to amend the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975, were published, as required under section 123 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, in Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated the 9th Aprli, 1987 *vide* notification of even number, dated the 10th March, 1987 for inviting objections and suggestions from the persons to be affected thereby within a period of one month from the date of their publication;

And whereas no objections/suggestions have been received from the general public within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under section 117 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 (Act No. 8 of 1974), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules:—

THE HIMACHAL PRADESH TENANCY AND LAND REFORMS (AMENDMENT) RULES, 1987

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Rules, 1987.

(2) These shall come into force at once.

2. Addition of new rule 10-A.—After the existing rule 10 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 (hereinafter called the "said rules"), the following new rule 10-A shall be added, namely:—

"10-A. *Devolution of tenancy right.*—No entry showing a person to be a tenant by succession u/s 45 or otherwise shall be made in the record, except through a mutation".

3. Amendment of rule 21.—In clause (iii) of sub-rule (2) of rule 21 of the said rules,—

(*i*) for the bracket and figure "(9).", the bracket and the figure "(8)" shall be substituted; and

(*ii*) for the figure and word "6 months", the figure and word "3 years" shall be substituted.

4. Amendment of rule 38-A.—After the existing clause (*e*) of sub-rule (3) of rule 38-A of the said rules, the following new clause (*f*) shall be added, namely:—

"(*f*) for construction of a Hotel, Restaurant, Cafeteria or any such other premises:	Such area as may be certified by the Department of Tourism of the State Government:

Provided that the permission granted under this rule shall be valid for a period of 180 days, to becounted from the date of issue of the orders of the State Government granting such permission".

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।